Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 2 | (April - June 2026)

भाषा नीति और जनजातीय शिक्षा: संताली भाषा शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ. धनु मुर्मू
विभाग- संताली, स्कूल ऑफ कम्पेरेटिव ट्राइबल लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर्स, KISS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर

सारांश

भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ लगभग 121 मुख्य भाषाएँ और 19,500 से ज्यादा मातृभाषाएँ और बोलियाँ हैं। इनमें से मात्र 22 भाषाएँ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में आती हैं, जैसे- हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि। संताली और बोडो मात्र दो आदिवासी भाषाएँ हैं, जो इसमें शामिल हैं। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषा हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय समुदायों की भाषाएँ न केवल बातचीत का एक तरीका हैं, बल्कि वे उनके ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और जीवन के दर्शन को भी दर्शाती हैं। भारतीय संविधान ने भाषाई विविधता को देश की सांस्कृतिक धरोहर माना है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में कई जनजातीय भाषाएँ अभी भी पीछे हैं। संताली भाषा को 2004 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह जनजातीय भाषाओं को बचाने और बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बावजूद संताली भाषा की शिक्षा कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस शोध पत्र में भारतीय भाषा नीति, मातृभाषा आधारित शिक्षा और संताली भाषा शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि संवैधानिक सुरक्षा और नीति संबंधी प्रावधानों के बावजूद संताली भाषा अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। संताली भाषा, जो हमारे देश की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिलने के बावजूद शिक्षा प्रणाली में इसका उपयोग उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए।

मुख्य शब्द: भाषा नीति, जनजातीय शिक्षा, संताली भाषा, मातृभाषा शिक्षा, भाषाई अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।

1. प्रस्तावना

भाषा किसी भी समाज की संस्कृति की पहचान, ज्ञान की परंपरा और सामाजिक अस्तित्व का आधार होती है। यह सिर्फ एक-दूसरे से बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि समुदाय की साझा यादें, अनुभव और जीवन को देखने के तरीके को सहेजने वाली भी होती है। यह किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक अस्मिता का मूल आधार होती है। किसी समाज की स्मृतियाँ, ज्ञान-परंपराएँ, लोक साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य भाषा के माध्यम से ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। जनजातीय समाजों के संदर्भ में भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पहचान मुख्यतः मौखिक परंपराओं पर आधारित रही है।

महात्मा गांधी ने कहा था—

"मातृभाषा बालक के मानसिक विकास का स्वाभाविक माध्यम है।"

इसी प्रकार भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1966) ने भी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावी शिक्षण का आधार माना था और UNESCO (1953) ने भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए

क्योंकि यह बच्चों के बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। संताली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है। यह ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में संताली भाषा का व्यापक प्रयोग होता है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, संताली भाषा की स्थिति शिक्षा व्यवस्था में संतोषजनक नहीं है। संताली भाषा भारत में रहने वाले संताल लोगों की मुख्य भाषा है। 2004 में इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था, लेकिन आज भी शिक्षा प्रणाली में संताली भाषा की स्थिति ठीक नहीं है। यह समस्या इस बात को दिखाती है कि भारतीय भाषा नीति और उसके कार्यान्वयन में कितना अंतर है।

2. शोध समस्या

भारतीय संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ संताली भाषा में शिक्षा देने का समर्थन करती हैं। लेकिन संताली बोलने वाले छात्रों को उनकी मातृभाषा में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यह समस्या बहुत बड़ी है और इसका अध्ययन करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

3. शोध उद्देश्य

1. भारतीय नीति में भाषा के उपयोग को समझना।
2. आदिवासी शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका के महत्व को समझना।
3. संताली भाषा की मौजूदा शिक्षा की स्थिति को देखना।
4. संताली भाषा की शिक्षा के सामने आने वाली समस्याओं को ढूँढना।
5. भाषा नीति और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच के अंतर का विश्लेषण करना।

4. शोध पद्धति

यह शोध गुणात्मक पद्धति पर आधारित है। हमने अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी दस्तावेजों, भाषा नीति संबंधी रिपोर्टों और संताली भाषा एवं साहित्य से जुड़ी प्रकाशित सामग्री का उपयोग किया है। हमने अपने अध्ययन की व्याख्या विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से की है, जिससे हम संताली भाषा और साहित्य को गहराई से समझ सकें।

5. सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

इस शोध का आधार भाषाई अधिकार (Linguistic Rights Theory) तथा बहुसांस्कृतिक शिक्षा (Multicultural Education Theory) है।

टॉव स्कुटनाब-कांगस (Tove Skutnabb-Kangas) के अनुसार-

"मातृभाषा से वंचित शिक्षा, भाषाई मानवाधिकारों के उल्लंघन का रूप है।"

यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

6. भारतीय भाषा नीति और जनजातीय भाषाएँ

भाषा नीति से तात्पर्य राज्य द्वारा भाषाओं के उपयोग, संरक्षण, विकास और शिक्षा में उनके उपयोग से जुड़े नियमों और उपायों से है। भारत की भाषा नीति बहुत सारी भाषाओं को साथ लेकर चलने और भाषाओं की विविधता को बचाने पर आधारित है। भारतीय संविधान भाषाई विविधता की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350(A) तथा 350(B) भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 350(क) विशेष रूप से राज्यों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। नीति में कहा गया है कि कम-से-कम कक्षा पाँच तक तथा जहाँ संभव हो कक्षा आठ तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रदान की जानी चाहिए। (Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं और बहुभाषिकता को शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ती है तथा स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को राष्ट्रीय विकास का आवश्यक घटक मानती है। (NCERT Journals)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी स्पष्ट रूप से मातृभाषा आधारित शिक्षा का समर्थन किया है। नीति के अनुसार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता, अधिगम कौशल तथा रचनात्मकता को विकसित करती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में इन प्रावधानों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

7. जनजातीय शिक्षा और भाषाई प्रश्न

भारत में जनजातीय समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक समस्याएँ तो हैं ही, लेकिन भाषा की समस्या भी बहुत बड़ी है। जब जनजातीय बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाता है, तो वे अपने स्कूल की पढ़ाई से जुड़ नहीं पाते। इससे उन्हें लगता है कि यह पढ़ाई उनके लिए नहीं है, और वे स्कूल छोड़ने की सोचते हैं।

गिरीश कर्नाड के अनुसार—

> "भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने का भी माध्यम है।"

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा की अवधारणा विकसित हुई, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देकर सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। (Press Information Bureau)

8. संताली भाषा का शैक्षिक विकास

संताली भाषा का आधुनिक विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा निर्मित 'ओल-चिकी' लिपि से जुड़ा हुआ है। ओल-चिकी लिपि ने संताली भाषा को एक संगठित लिखित स्वरूप प्रदान किया।

डोमन साहू समीर के अनुसार—

> "ओल-चिकी के विकास ने संताली समाज में भाषाई जागरण उत्पन्न किया।"

2004 में संताली भाषा का आठवीं अनुसूची में समावेश भारतीय भाषाई इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों में संताली भाषा पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। भाषा नीति और जनजातीय शिक्षा के बीच एक गहरा संबंध है, जो केवल स्कूली पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। यह संबंध हमारी संस्कृति और लोकतंत्र के मूल अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा में संताली भाषा के उपयोग पर किए गए अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ कानूनी मान्यता और नीतियों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन नीतियों को वास्तव में लागू करना भी उतना ही जरूरी है। अगर संताली भाषा को हर स्तर की शिक्षा में उसका सही स्थान मिले, तो इससे न केवल जनजातीय छात्रों की पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि उनकी संस्कृति की पहचान और भाषा की विरासत को बचाने में भी बड़ा योगदान होगा। इसलिए, भाषा नीति को सिर्फ कागज़ पर लिखे नियमों के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे समाज में न्याय और समावेशी तरक्की का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए।

9. संताली भाषा शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण

नीतिगत उपलब्धियाँ

संताली भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में आंशिक समावेश किया गया है, ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके। विश्वविद्यालय स्तर पर संताली विभागों की स्थापना की गई है, जो इस भाषा के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जो छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

संताली भाषा में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहुत कमी है। कई विद्यालयों में संताली भाषी छात्रों को अन्य भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। संताली भाषा में पढ़ाई के लिए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के बाद माध्यम बदलने से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। संताली माध्यम में शोध और अकादमिक लेखन अभी प्रारंभिक अवस्था में है। हिंदी, ओड़िया और अंग्रेज़ी जैसी प्रभुत्वशाली भाषाओं के सामने संताली भाषा को जरूरत के हिसाब से संस्थागत समर्थन नहीं मिल पाता।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संताली भाषा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जनजातीय भाषाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। इसमें स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई, डिजिटल सामग्री बनाने और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह नीति जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने और उनके महत्व को समझने में मदद कर सकती है।

नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं:

वित्तीय व्यवस्था (आर्थिक मुश्किलें)

भारत में जनजातीय भाषाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था भी एक समस्या है। हाँ, भारत पहले से ही उच्च शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। हालाँकि, अगर जनजातीय भाषाओं की गुणवत्ता बेहतर करनी है, तो और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। आज हमारे देश में जनजातीय भाषाओं के विकास में

आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वित्तीय व्यवस्था भी जनजातीय भाषाओं की मदद करे, तो भविष्य में जनजातीय (संताली) भाषा का साहित्य बहुत मज़बूत होगा।

संताली भाषा के शिक्षकों से जुड़ी समस्याएँ

आज कई कॉलेजों में संताली भाषा के व्याख्याता (लेक्चरर) और प्रोफ़ेसर की कमी है। कई कॉलेजों में संताली भाषा की पढ़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन प्रोफ़ेसर और शिक्षक की भारी कमी है। हर जगह अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर) और अस्थायी शिक्षक (एड-हॉक टीचर) से काम चलाया जा रहा है। ऐसे में संताली भाषा और साहित्य का विकास कितना संभव हो पाएगा? अतः सभी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों में संताली भाषा के पर्याप्त शिक्षकों को बहाल करने की आवश्यकता है।

पाठ्यपुस्तकों और संताली पुस्तकालय की कमी

आज भले ही कुछ कॉलेजों में संताली पढ़ाई जाती है, लेकिन संताली पुस्तकालय और पाठ्यपुस्तकों का अभाव बना हुआ है। इस वजह से छात्रों को किताबें नहीं मिल पातीं और वे इसकी पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है। किताबों और संताली पुस्तकालय की कमी संताली साहित्य के विकास में बाधा डालती है। अतः संताली पाठ्यपुस्तकों और संताली पुस्तकालय की कमी को दूर करने की आवश्यकता है।

संताली भाषा में स्कूली स्तर की पढ़ाई

आज संताली भाषा UG, PG और PhD स्तर पर पढ़ाई जाती है। कक्षा 1 से लेकर उच्च माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) स्तर तक इसकी पढ़ाई नहीं होती है। इसी वजह से कई छात्रों को UG और PG स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए, स्कूली स्तर पर भी संताली भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए।

11. विमर्श

संताली भाषा शिक्षा का मुद्दा सिर्फ पढ़ाई-लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक न्याय और भाषाई लोकतंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी समुदाय की भाषा शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाती है, तो उसका ज्ञान, संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाती है।

पाउलो फ्रेरे (Paulo Freire) का मत है—

> "शिक्षा तभी सार्थक है जब वह शिक्षार्थी के जीवन-संसार से जुड़ी हो।"

यह कथन जनजातीय शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय भाषा नीति जनजातीय भाषाओं को बचाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई बड़ी बाधाएँ हैं। संताली भाषा की शिक्षा के अनुभव से पता चलता है कि संवैधानिक मान्यता और नीतिगत घोषणाएँ तभी प्रभावी सिद्ध होंगी जब उन्हें विद्यालयी स्तर पर वास्तविक रूप दिया जाए। मातृभाषा आधारित शिक्षा से पढ़ाई में सुधार आता है, साथ ही सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समावेशन और भाषाई न्याय भी सुनिश्चित होते हैं। इसलिए, संताली भाषा शिक्षा को जनजातीय विकास की व्यापक रणनीति का

एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। भाषा नीति और जनजातीय शिक्षा का संबंध शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति और लोकतंत्र से भी जुड़ा है। संताली भाषा शिक्षा का अध्ययन दिखाता है कि कानूनी मान्यता और नीतियाँ काफी नहीं हैं; इन्हें सही तरीके से लागू करना भी जरूरी है। संताली भाषा को अगर शिक्षा के हर स्तर पर सम्मान मिले, तो जनजातीय छात्रों की पढ़ाई में सुधार आएगा, साथ ही उनकी संस्कृति और भाषा को बचाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए, भाषा नीति को सिर्फ कागज़ पर न रखकर, समाज में न्याय और विकास का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. गांधी, मोहनदास करमचंद. *शिक्षा और संस्कृति.* नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
2. वर्मा, रामविलास. *भाषा और समाज.* नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
3. समीर, डोमन साहू. *संताली भाषा ओ साहित्य.* कोलकाता: साहित्य अकादेमी।
4. मुर्मू, रघुनाथ. *ओल चिकी आर संताली पारसी आकिल.* मयूरभंज।
5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* नई दिल्ली।
6. कोठारी शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1964–66). नई दिल्ली: भारत सरकार।
7. हेम्ब्रम, कृष्णचन्द्र. *संताली भाषा, साहित्य और संस्कृति.* राँची।
8. टुडू, दिगम्बर. *आदिवासी शिक्षा और भाषा का प्रश्न.* नई दिल्ली।
9. बेसरा, बाबूलाल. *भारतीय जनजातीय भाषाएँ और शिक्षा.* कोलकाता।
10. हांसदा, निर्मला. *जनजातीय समाज और भाषाई अस्मिता.* राँची।
11. मुर्मू, जगन्नाथ. *संताली भाषा आंदोलन का इतिहास.* दुमका।
12. सोरेन, महादेव. *आदिवासी शिक्षा का समाजशास्त्र.* नई दिल्ली।
13. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। नई दिल्ली: भारत सरकार, 2020। (Education)
14. रितिका। “राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुभाषावादी पहल।” *प्राथमिक शिक्षक*, खंड 45, अंक 1, 2025, पृ. 41–46। (NCERT Journals)
15. चौधरी, संजय। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं की पुनर्स्थापना*। 2021। (ResearchGate)
16. उइके, सीताराम। “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।” *जर्नल ऑफ एडवांसेज़ एंड स्कॉलर्ली रिसर्चेज इन एलाइड एजुकेशन*, खंड 21, अंक 2, 2024। (Ignited Minds)
17. भार्गव, सुनीता एवं अन्य। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा*। जयपुर: संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 2025। (Zenodo)

18. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। “नई शिक्षा नीति से जनजाति बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित होगी।” प्रेस सूचना ब्यूरो, 10 अगस्त 2020। (Press Information Bureau)

19. महात्मा गांधी। *शिक्षा और संस्कृति*। नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।

20. मुर्मू, रघुनाथ। *ओल चिकी आर संताली पारसी आकिल*। मयूरभंज।

21. हांसदा, डोमन साहू समीर। *संताली भाषा ओ साहित्य*। कोलकाता: साहित्य अकादेमी।

22. वर्मा, रामविलास। *भाषा और समाज*। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।